

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-26112021-231413
SG-DL-E-26112021-231413

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 358]	दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 26, 2021/अग्रहायण 5, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 282
No. 358]	DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 26, 2021/AGRAHAYANA 5, 1943	[N. C. T. D. No. 282

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 25 नवम्बर, 2021

फा.सं.13(409)/एलबी/यूडी/एसईसी/2021/021669885/3085-3103.—दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 (1957 का 66) के खंड 7 के उप-खंड (1) में निहित शक्तियों, जिन्हें वर्ष 1993 के अधिनियम 67 और वर्ष 2011 के दिल्ली अधिनियम, 12 के द्वारा संशोधित किया गया है, के अनुपालन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल द्वारा श्री विजय कुमार देव, आईएस को दिनांक 21.04.2022 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चुनाव आयोग का चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है। वे दिल्ली नगर निगम के समस्त चुनावों के आयोजन के लिए पर्यवेक्षण, अनुदेशों और मतदाता सूचियां तैयार कराने के कार्य को नियंत्रित करेंगे।

श्री विजय कुमार देव, आईएस चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक, इसमें जो भी पहले हो, 06 वर्ष की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे, जैसी व्यवस्था राष्ट्रीय राजधानी

क्षेत्र दिल्ली के चुनाव आयोग नियम (सेवा की शर्तें और कार्य अवधि) 1993 के नियम 4, इस अधिनियम के तहत समय-समय पर संशोधित, के तहत की गई है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप राज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम से,

प्रवीण गुप्ता, अपर मुख्य सचिव (यूडी)

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 25th November, 2021

F.No.13(409)/LB/UD/SEC/2021/021669885./3085-3103.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 7 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957), as amended by the Act 67 of 1993 and Delhi Act 12 of 2011, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Shri Vijay Kumar Dev, IAS, as Election commissioner in the Election Commission of the National Capital Territory of Delhi w.e.f. 21.04.2022, for the superintendence, direction and control of the preparation of the electoral rolls, for and conduct of all elections to the Municipal Corporations of Delhi.

Shri.Vijay Kumar Dev, IAS will hold the office for a term of six years from the date on which he assumes charge of this office or till he attains the age of 65 years, whichever is earlier, as provided under rule 4 of the Election Commission of National Capital Territory of Delhi (Conditions of Service and Tenure of Office) Rules, 1993, as amended from time to time, made under the said Act.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,
PRAVEEN GUPTA, Addl. Chief Secy. (UD)